

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 263/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

चोलामण्डलम इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी प्रवीण माथुर

पंजीकृत कार्यालय पता:— चोलामण्डलम इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड प्रथम तल, डेयर हाउस न. 02, एन.एस.सी बॉस रोड पैरीज, चैन्नई-600001

कॉरपोरेट कार्यालय का पता:— चोलामण्डलम इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, "चोला क्रेस्ट", सी-54 एवं 55, सुपर B-4 थिरू-वी-का इ (Thiru-Vi-Ka) इंडस्ट्रीज एस्टेट (Industries Estate) गिंडी (Guindy) चैन्नई-600032

शाखा कार्यालय पता:— चोलामण्डलम इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, श्री बालाजी जे.आर टावर, चतुर्थ मंजिल कृषि उपजमंडी के सामने सीकर।

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह राजपूत

पता:— खसरा संख्या 832, वार्ड संख्या-2, सरदारपुरा मार्ग, आचार्यों का मोहल्ला, सीकर राज. 332301

2. नन्दु कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह

पता:— वार्ड संख्या-2, आचार्यों का मोहल्ला फतेहपुर शेखावाटी, सीकर राज. 332301

3. सुरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराइटर सुरेन्द्र सिंह

पता:— खसरा संख्या 832, वार्ड संख्या-2, सरदारपुरा मार्ग, आचार्यों का मोहल्ला, सीकर राज. 332301

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 19 फरवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मंयक कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 3 क्रमशः सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह राजपूत, नन्दु कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह एवं सुरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराइटर सुरेन्द्र सिंह की

२

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुरेन्द्र सिंह** के स्वामित्व की बंधक **आवासीय सम्पत्ति जो कि पुराना खसरा संख्या-957/2, वर्तमान खसरा संख्या-832, तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1999.68 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- उत्तर दिशा में नोहरा महेश, दक्षिण दिशा में मेघाराम का रास्ता, पूर्व में हरि नायक का मकान व पश्चिम दिशा में रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹61,50,000/- (अक्षरे रूपये इकसठ लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **05.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री विजय कुमार शर्मा उपस्थित हुए हैं परन्तु बकाया ऋण भुगतान से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **05.08.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 3 क्रमशः **सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह राजपूत, नन्दु कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह**


(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

एवं सुरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराइटर सुरेन्द्र सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति जो कि पुराना खसरा संख्या-957/2, वर्तमान खसरा संख्या-832, तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1999.68 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- उत्तर दिशा में नोहरा महेश, दक्षिण दिशा में मेघाराम का रास्ता, पूर्व में हरि नायक का मकान व पश्चिम दिशा में रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

